

जोशीमठ में जलवदियुत परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण \(NDMA\)](#) ने कहा कि उसे [NTPC \(राष्ट्रीय ताप वदियुत नगिम\)](#) को [तपोवन-वशिणुगाड जलवदियुत परियोजना स्थल](#) पर नरिमाण कार्य फरि से शुरु करने की अनुमति देने में कोई आपत्तति नहीं है।

मुख्य बदि

- 5 जनवरी, 2023 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर [जोशीमठ](#) में भूमिधँसने का मामला बगिडने के बाद [NTPC](#) की तपोवन-वशिणुगाड परियोजना के सभी कार्यों पर रोक लगा दी थी।
- NDMA ने बहु-संस्थागत वशिषज्ज संगठनों का एक समूह बनाया, जिसमें [केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान](#), [राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान](#), [भारतीय भूवैज्ञानिकि सर्वेक्षण](#), [वाडिया हिमालय भूवजिज्ञान संस्थान](#) और [IIT-रुडकी](#) आदि शामिल हैं।
- उच्च न्यायालय को सौपी गई रिपोर्ट में NDMA ने यह भी कहा कि वशिषज्जों ने भूमिधँसने के कई कारण गनिए हैं, जनिमें सबसे आम कारण यह है कि [जोशीमठ शहर](#) में अनयिमति नरिमाण के कारण [औली](#) से [जोशीमठ तक](#) बहने वाला प्राकृतिकि जल बाधति हो गया है।

राष्ट्रीय ताप वदियुत नगिम (NTPC)

- यह वदियुत मंत्रालय के तहत एक [केंद्रीय सार्वजनिकि क्षेत्र उपकरम \(PSU\)](#) है।
- यह [भारत का सबसे बडा ऊर्जा समूह](#) है जिसकी जड़ें [भारत में वदियुत बिकास को गति देने के लिये वर्ष 1975 में स्थापति की गई थीं](#)।
- इसका उद्देश्य नवीनता और चपलता से प्रेरति होकर कफियती, कुशल तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से वशि्वसनीय वदियुत एवं संबधति समाधान उपलब्ध कराना है।
- मई 2010 में यह महारत्न कंपनी बन गई।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (The National Disaster Management Authority-NDMA)

- यह आपदा प्रबंधन के लिये [भारत का सर्वोच्च वैधानिकि नकिया](#) है।
- इसका औपचारिकि गठन [27 सतिंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधनियिम, 2005](#) द्वारा कया गया था।
 - प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसके नौ अन्य सदस्य हैं। नौ सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में नामति कया जाता है।
- आपदा प्रबंधन की प्राथमिकि ज़मिमेदारी संबधति राज्य सरकार की है।
 - हालाँकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति सभी के लिये अर्थात् केंद्र, राज्य और ज़िला के लिये सक्षम वातावरण प्रदान करती है।